

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 14.03.2026

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या: 24 / 2023

जीसीएमएस संख्या: 2023 / 42

दायर दिनांक: 17.02.2023

1. लक्ष्मणराम पुत्र नथूराम जाति मेघवाल निवासी मालकसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

—:निर्णय:—

निर्णय दिनांक:14.03.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरु का स्थायी निवासी है जिसके रोही ग्राम मालकसर तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या 72 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी के पिता का नाम जमाबन्दी खाता संख्या 72 में नथाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम नथूराम है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में पिता का नाम नथूराम ही अंकित है।

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता का नाम मालकसर की खातेदारी कृषि भूमि के खाता संख्या 72 में नथाराम दर्ज है। जबकि संलग्न दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम नथाराम अंकित है। नथूराम एवं नथाराम दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नथाराम के स्थान पर नथूराम दर्ज किये जाने की अभिषंशा की जाती है।





पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, में प्रार्थी के पिता का नाम नथूराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि रोही ग्राम मालकसर तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या 72 में प्रार्थी के पिता का नाम नथाराम के स्थान पर नथूराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2026 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ में सुनाया गया।

  
न्यायिक अधिकारी  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
पैनल अधिवक्ता (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़